

राजस्थान सरकार
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :-स. 3-18 (01)अराज/स्था/अभि./2016/3992-97 दिनांक 22-3-17

-:संशोधित-आदेश:-

निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक 2488-93 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारियों का 02 वर्ष की परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर नियमित करने के आदेश में निम्न संशोधित किया जाता है:-

1. श्री मोहन लाल कटारा, सहायक अभियोजन अधिकारी का पदस्थापन स्थान "सहायक निदेशक अभियोजन चित्तौडगढ" के स्थान पर "सहायक निदेशक अभियोजन उदयपुर" पढा जावे।
2. श्री प्रकाश परमार, सहायक अभियोजन अधिकारी की प्रथम नियुक्ति "दिनांक 01.09.2014" के स्थान पर "दिनांक 05.09.2014" एवं परिवीक्षाकाल पूर्ण होने का "दिनांक 31.08.2016" के स्थान पर "दिनांक 04.09.2016" तथा नियमित करने का "दिनांक 01.09.2016" के स्थान पर "दिनांक 05.09.2016" पढा जावे।
3. श्री मनफूल विश्णोई, सहायक अभियोजन अधिकारी का पदस्थापन स्थान "सहायक निदेशक अभियोजन नागोर" के स्थान पर "सहायक निदेशक अभियोजन श्रीगंगानगर " पढा जावे।

716/22317
(देवेन्द्र दीक्षित)

निदेशक अभियोजन
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निजी सचिव, श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, (गृह) राज0 सरकार।
- 2-समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
- 3-समस्त सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान।
- 4-सम्बन्धित सहायक अभियोजन अधिकारी.....
द्वारा सहायक निदेशक अभियोजन जिला.....
- 5-निजी पत्रावली।
- 6-रक्षित पत्रावली।

716/22317
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान, जयपुर